न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 72/11 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

[redacted]वान :– 1. रामप्रताप पुत्र मोठिया जाति चमार निवासी ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

:–––– अपीलांट

बनाम

1. धर्मचन्द पुत्र रामप्रताप जाति चमार निवासी ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:–– असल रेस्पो0

2. संतोष पुत्र रामप्रताप जाति चमार
3. प्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति चमार
4. विशम्भर पुत्र रामप्रताप जाति चमार निवासीयान ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर
5. प्रेम पुत्र रामप्रताप स्त्री नेमीचन्द हाल निवासी ग्राम भूतपुरी तहसील बानसूर जिला अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

6. शीला पुत्री रामप्रताप स्त्री रमेशचन्द हाल निवासी भूतपुरी तहसील बानसूर जिला अलवर
7. शैतान पुत्र रामप्रताप पौत्र मोठिया जाति चमार निवासी बानसूर
8. हंसा पुत्र विनोद पौत्र मोठिया जाति चमार निवासी बानसूर
9. कुसुम पुत्री विनोद पौत्री रामप्रताप
10. सुण्डी पुत्री विनोद जाति चमार निवासी बानसूर
11. तहसीलदार बानसूर बहैसियत भूधारक

:—— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बानसूर
दिनांक 29.6.2011

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री अनिल कुमार गुप्ता
2. वकील असल रेस्पो0 :— श्री कुन्दन लाल सोनी

निर्णय दिनांक 16.12.2016

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2011 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत न्यायालय में एक वाद वाद संख्या 104/2000 उनवान धर्मचन्द बनाम मोठिया वगैरा पेश हुआ था, जो प्रतिवादी अपीलांट

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

Scanned by CamScanner

की इकतरफा में दिनांक 26.9.2001 को डिक्री हुआ था । इसके बाद प्रतिवादी अपीलांट ने अपनी इकतरफा खुलवाने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 पेश किया, जो अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज किया गया है, जिसके खिलाफ यह अपील पेश की गई है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि प्रतिवादी संख्या 01 मोठिया ही तहत न्यायालय में उपस्थित होता रहता था । उनके बीमार होने पर उन्हें इलाज हेतु प्रतिवादी नम्बर 02 जयपुर लेकर चला गया था और वकील साहब दीगर न्यायालय में व्यस्त थे । इन सब कारणों से प्रतिवादीगण अथवा वकील साहब तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हा सके थे । इसलिये प्रतिवादीगण की इकतरफा कर दी गई थी । प्रतिवादी संख्या 01 गम्भीर बीमारी से पीडित थे और मानसिक तनाव में थे । इसलिये वकील साहब से सम्पर्क नहीं हो सका और वाद पत्र में पारित निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । प्रथम बार जानकारी दिनांक 23.6.2004 को हुई । जानकारी की तिथि से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 पेश कर दिया गया था ,परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गलत तौर पर खारिज कर दिया । विद्वान तहत न्यायालय ने मूल वाद पत्र में भी निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है, क्योंकि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है और पिता के जीवनकाल में पुत्र को पैत्रिक सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2009 (1) आर0 आर0 टी0 पेज 391 का हवाला दिया ।

4. विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि इनको सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था, परन्तु ये जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये, इसलिये इनकी इकतरफा की गई थी । मूल वाद पत्र में पारित निर्णय की जानकारी होने के बावजूद इन्होंने आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया था । संतोषजनक कारण बताने पर ही मियाद पर नरम रूख अपनाया जा सकता है । विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत हमारा जन्म से ही अधिकार है । अपील गुणहीन है । अतः निवेदन है कि खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । हम यहां आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय की अपील का निस्तारण कर रहे हैं । विद्वान तहत न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से मियाद बिन्दू पर खारिज किया है । जिसके सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि प्रतिवादी नम्बर 01 गम्भीर बीमारी से पीडित था, जिसको इलाज के लिये प्रतिवादी नम्बर 02 लेकर जयपुर चला गया था और वकील साहब से सम्पर्क नहीं हो पाया था, इसलिये मूल वाद में पारित निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । इन्हीं कारणों से प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 समय पर पेश नहीं किया जा सका था । हमने विद्वान वकील अपीलांट के इन तर्कों पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपनी विभिन्न नजीरों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट की बहस तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 अन्दर मियाद शुमार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2001 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 19.1.2017 को पेश हो ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner